निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 1017) पटना, वृहस्पतिवार, 20 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–20/2026–6817/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अधिनियम 29. 2026)

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय–समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित होगाः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**

(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) का प्रतिस्थापन।–** उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

''अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत नियुक्त निबंधन पदाधिकारी को किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण, सम्परिवर्तन, बदलैन, दान, बंटवारा, लीज़ या सेटलमेंट से जुड़े दस्तावेज को निबंधित करते समय यह लगता है कि सम्पत्ति का वर्गीकरण, अवस्थिति और/या उस पर बनी संरचना का माप और/या संरचना का प्रकार गलत बताया गया है या फिर उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इस अधिनियम के नियमों के तहत तैयार प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्ग दर्शक पंजी में बताई गई दर से कम बताई गई है, तो वह ऐसे दस्तावेज को निबंधित करने से पहले, उस सम्पत्ति का सही बाजार मूल्य और उस पर देय सही स्टाम्प शुल्क तय करने के लिए मामले को समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक के पास भेजेगा''।

3. **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(3) में संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(3) में प्रयुक्त शब्दावली ''2 वर्ष'' को शब्द ''4 वर्ष'' से एवं ''समाहर्त्ता'' को ''समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(7) का प्रतिस्थापन।– उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(7) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

'' अगर सही बाजार मूल्य तय होने के बाद यह पता चलता है कि पक्षकारों ने जान बूझकर सम्पत्ति का विवरण, उसका बाजार मूल्य या चुकाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क पर असर डालने वाले किसी भी अन्य तथ्य और हालात के बारे में कोई गलत या गुमराह करने वाली जानकारी दी गई है/छिपाई गई है या दी है (जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित, की धारा 27 के तहत ज़रूरी है), तो समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक या अपील दायर होने की स्थिति में अपीलीय प्राधिकार, कमी मुद्रांक शुल्क और तय सामान्य मुद्रांक शुल्क के अलावा, कमी मुद्रांक शुल्क के 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर जुर्माना लगा सकते हैं।''

5. **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के उप–खंड (8) में संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 47–ए के उप–खंड (8) में एक परन्तुक निम्न प्रकार से जोड़ा जाता हैः–**

''बशर्ते कि इस तरह से लगने वाले ब्याज की कुल रकम, किसी भी स्थिति में, कमी मुद्रांक शुल्क की रकम से ज्यादा न हो''।

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

20 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–20/2026–**6818/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को अनुमत **भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 29, 2026)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act-29, 2026]

THE INDIAN STAMP (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2026

AN

ACT

to amend the Indian stamp act, 1899 (as amended from time to time).

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. ***Substitution of Section 47A(1) of the Indian Stamp Act, 1899.—***Section 47A(1) of the said Act is substituted as follows:-

"If, while registering a document relating to the transfer, conversion, exchange, gift, partition, lease, or settlement of a property, the registering officer appointed under the Registration Act, 1908, is of the opinion that the classification, location, and/or the dimensions of the building thereon and/or the type of structure has been incorrectly stated, or that the market value of the property has been declared at a rate lower than that specified in the Guidelines Register of the estimated minimum values prepared under the rules of this Act, then, before registering such a document, he shall refer the matter to the Collector/AIG to determine the correct market value of the property and the correct stamp duty payable thereon."

3. ***Amendment of Section 47A (3) of the Indian Stamp Act, 1899.—***The words "2 years" used in Section 47A (3) of the said Act are substituted with the words "4 years" and “Collector” are substituted with the words “Collector/AIG”.

4. ***Substitution of Section 47A(7) of the Indian Stamp Act, 1899.—*** Section 47A(7) of the said Act is substituted as follows:-

"If, after the determination of the correct market value, it is found that the parties have deliberately concealed or provided false or misleading information regarding the description of the property, its market value, or any other fact or circumstance affecting the levy of stamp duty (as required under Section 27 of the Indian Stamp Act, 1899, as amended by the Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 1988), then the Collector/AIG or the appellate authority in the event of an appeal may impose a penalty equal to 100% (one hundred percent) of the deficit stamp duty, in addition to the actual stamp duty payable".

5. ***Amendment in sub-clause (8) of Section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899.—***A proviso is added to sub-clause (8) of Section 47-A of the said Act is as follows:-

"Provided that the total amount of interest payable in this manner shall not, in any case, exceed the amount of the deficit stamp duty".

Balram Dubey,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1017-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in